न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राम रतन सौंकरिया, RAS

अपील संख्या 238/2011

1 छोटी देवी पत्नि उदाराम
2 सावंरमल पुत्र उदाराम
3 कमला देवी पत्नि रूडाराम
4 मदन लाल पुत्र रूडाराम
5 छीतरमल पुत्र हुकमाराम समस्त जाति जाट निवासी मलकेडा तहसील व जिला सीकर राजस्थान।

अपीलांट

बनाम

1 रामू उर्फ रामला पुत्र गोरू उर्फ गोरिया जाति जाट निवासी ढ़ाका की ढाणी तन बाजौर तहसील व जिला सीकर
2 परसा पुत्र गोरू उर्फ गोरिया
3 रामलाल पुत्र गोरू उर्फ गोरिया
4 सूरजा (फोत)
4/1 सीताराम पुत्र स्व सूरजा
4/2 सांवरमल पुत्र स्व सूरजा
4/3 बनवारी लाल पुत्र स्व सूरजा
4/4 नेमीचन्द पुत्र स्व सूरजा
4/5 बनारसी पुत्री स्व सूरजा
4/6 भागीरथ (फोत)
4/6/1 प्रभाती पत्नी स्व भागीरथ
4/6/2 सुभाष पुत्र स्व भागीरथ
4/6/3 संजना पुत्री स्व भागीरथ

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

4/6/4 भागोती पुत्री स्व भागीरथ
4/6/5 सुमन पुत्री स्व भागीरथ
4/6/6 श्रवणी पुत्री स्व भागीरथ
4/6/7 राजू पुत्री स्व भागीरथ समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाका की ढाणी तन बाजौर तहसील व जिला सीकर
5 बलबीर पुत्र पोखर
6 फुलाराम पुत्र पोखर समस्त जाति जाट निवासीगण ढ़ाका की ढाणी तन बाजौर तहसील व जिला सीकर
7 धापी पत्नी पोखर जाति जाट निवासीगण ढ़ाका की ढाणी तन बाजौर तहसील व जिला सीकर
8 उप पंजीयक सीकर
9 तहसीलदार सीकर

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 आरटी एक्ट विरूद्ध
निर्णय व डिक्री मुकदमा नम्बर 131/2010 दिनांक
06.07.2011 द्वारा उपखण्ड अधिकारी सीकर
श्री जे.पी. त्यागी

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार जांगिड़, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री हेतराम़, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः–27-1-24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 131/2010 में पारित निर्णय दिनांक 06.07.2011 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 7 के संयुक्त खाते कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 164 रकबा 1.43 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 165 रकबा 1.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 166 रकबा 0.32 हैक्टेयर खसरा नम्बर 167 रकबा 0.31 हैक्टेयर खसरा नम्बर 168 रकबा 0.41 हैक्टेयर खसरा नम्बर 169 रकबा 0.49 हैक्टेयर खसरा नम्बर 170 रकबा 0.37 हैक्टेयर खसरा नम्बर 171 रकबा 0.30 हैक्टेयर खसरा नम्बर 172 रकबा 0.35 हैक्टेयर कुल किता 9 कुल रकबा 5.38 हैक्टेयर में से 3/8 हिस्सा अर्थात् 2.02 हैक्टेयर भूमि ग्राम मलकेड़ा तहसील व जिला सीकर में रेस्पोडेन्ट के पूर्वज गोरू उर्फ गोरिया के खाते कब्जे हक अधिकार अवस्थित रही है तथा उपरोक्त भूमियों में अपीलान्ट संख्या 1 व 2 का हिस्सा 1/6 अपीलान्ट संख्या 2 व 4 का हिस्सा 1/12 अपीलान्ट संख्या 5 का हिस्सा 1/4 राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज है तथा इसी अनुसार पक्षकारान मौके पर काबिज काश्त है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपने पुर्वज गौरू उर्फ गोरिया की खातेदारी में से रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 का नाम हजफ कराने हेतु अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 188 आरटी एक्ट के तहत पेश किया था जिसमें अपीलान्ट व अन्य सहखातेदारों को पक्षकार तक नहीं बनाया था। गोरू उर्फ गोरिया के पुत्रों के विवाद का विचारण करते हुये विवादित भूमि की खातेदारी मुर्ति मंदिर श्री रघुनाथ जी के नाम दर्ज करने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

का आधार हीन निर्णय पातिर कर दिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा बिना अनुतोष, बिना साक्ष्य, बिना काउंटर क्लेम विचाराधीन निर्णय से विवादित भूमि को माफी मंदिर के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट अपीलांट के कथनों से सहमति जाहिर करता है। अतः अपील स्वीकार कर प्रकरण रिमांड किया जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी एवं प्रतिवादीगण द्वारा दावा बाबत उद्घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया था। विचारण न्यायालय द्वारा बिना अनुतोष, बिना साक्ष्य, बिना काउंटर क्लेम विचाराधीन निर्णय से विवादित भूमि को माफी मंदिर के नाम दर्ज करने का आदेश पारित किया है। विचारण न्यायालय का निर्णय पूर्णतया विधि विरूद्ध है।

यहां यह भी विचारणीय है कि विचारण न्यायालय में पत्रावली दिनांक 11.05.2011 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के जवाब हेतु दिनांक 06.07.2011 को नियत की गई थी। दिनांक 06.07.2011 को विचारण न्यायालय ने बिना किसी विधिक प्रकिया की पालना किये विचाराधीन निर्णय पारित कर विधिक त्रुटि की

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचारधीन निर्णय को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रकिया की पालना कर उभयपक्ष को सुनकर प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.02.2024 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 23-1-24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राम रतन सौंकरिया)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर